

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2014—श्रावण 22, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-67-03-2014-तीन-नपा-708.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 284, दिनांक 10 जुलाई में प्रकाशित किये गये निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014 में संशोधन में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, को सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए शब्द, अंक तथा कोष्ठक पढ़े जाएँ :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक

तथा कोष्ठक

(1)

राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे

शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं।

(2)

शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो

कि पढ़े जाएँ

(3)

पृष्ठ

पंक्ति

यथाशक्य

567

चौथा पैरा की द्वितीय पंक्ति

यथाशक्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.—इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) संशोधित आदेश 2014 है।

568

कंडिका 1 की उप कंडिका (1) की द्वितीय पंक्ति।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.—इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 है।

(1)	(2)	(3)
	पृष्ठ	पंक्ति
(ज) “प्रोफार्मा” से अभिप्रेत है—प्रोफार्मा “क”—निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, प्रोफार्मा “ख”—निर्वाचन व्यय का नगद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा “ग”—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर.	568	कंडिका 2 की उप कंडिका (ज) में।
निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशिष्टियां.—अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे जाने वाले निर्वाचन व्ययों के लेखा में व्यय की एक मद की बाबत् निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—	568	कंडिका 3 में उप कण्डिका के लिये।
“ग”—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर.	568(2)	12 वीं पंक्ति में
(iv) चैक संख्या	568(2)	18 वीं पंक्ति में
(3) उप कंडिका (1) की मद (ड) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत् देनी आवश्यक न होगी जिनके लिए उप कंडिका (2) के अधीन व्हाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं।	568(2)	27 वीं पंक्ति में
8. लेखा के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना.—जिला निर्वाचन अधिकारी उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा कंडिका-7 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अंदर एक सूचना, जिसमें—	568(4)	तीसरी पंक्ति में
यथाशाक्य	568(4)	(10) की उप कण्डिका (1) की तीसरी पंक्ति।
		यथाशाक्य

हस्ता./—
 (जी. पी. श्रीवास्तव)
 सचिव,
 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।